

राजस्थान सरकार
पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, आठ गिरफ्तार

जयपुर, 6 दिसम्बर। पुलिस उपायुक्त पूर्व श्री कुँवर राष्ट्रदीप ने बताया कि दिनांक 5.12.2017 को थाना सांगानेर पर श्री गुलाम मुस्तफा नि० कब्रिस्तान के पास मजरा बक्स बार्ड न० 9 बाजपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की की " मेरे मिलने वाले जयरियल दास उर्फ जे०डी नि० संगम विहार दिल्ली ने मुझे बताया कि लखन शर्मा निवासी जयपुर, हरदीप शर्मा नि० नागदा, अतिक अहमद, नि० बैंगलोर, किशोर कुमार, संदीप, ब्रजेश श्रीवास्तव नि० जयपुर व अमर कुमार नि० दिल्ली के पास एक करामाती मन्दिर का कलश है जो विदेश में करोड़ों रुपये का बिकता है। कलश को लैब में टैस्टिंग कराने का झांसा देकर 16 लाख रु ले लिये तथा एक साधारण सा कलश पैकिंग कर दे दिया। जिसको खोला गया तो साधारण पीतल का लोटा था। इस संबंध में थाना हाजा पर मु०न० 944/17 धारा 420,406, 120 बी भा०द०स० में पंजिबद्ध किया गया।

इस वारदात में मुल्जिमों को गिरफ्तारी व धरपकड़ के लिए सहायक पुलिस आयुक्त सांगानेर जयपुर के निर्देशन में थानाधिकारी सांगानेर शिवरतन गोदारा, उ०नि० जय प्रकाश, हैडकानि० उयवीर सिंह, कानि० ईश्वर तिवारी, हरदयाल सिंह, नरेन्द्र सिंह की टीम गठित की गई। टीम ने गिरफ्तारी के लिए काफी प्रयास कर आज दिनांक 06.12.2017 को मुखबीर की सूचना से दुर्गापुरा पुलिया के नीचे जयपुर से ही मुल्जिम 1. लखन लाल शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा जाति ब्रह्मण उम्र 32 साल निवासी मकान न० 179 श्रीराम विहार महल योजना प्रताप नगर, थाना प्रताप नगर जयपुर, 2. किशोर कुमार पुत्र श्री गोविन्द राम उम्र 41 साल जाति सिन्धी निवासी 264/373 सैक्टर 26 प्रताप नगर, थाना प्रताप नगर सांगानेर जयपुर, 3. ब्रजेश प्रसाद श्रीवास्तव पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद श्रीवास्तव उम्र 56 साल निवासी A 5/1 चिनाब अपार्टमेन्ट सैक्टर 28 प्रताप नगर जयपुर, 4. जयरियल दास उर्फ जे०डी० पुत्र श्री पोलूस दास उम्र 39 साल जाति ईसाई निवासी K II 771 संगम विहार, थाना संगम विहार, नई दिल्ली 62, 5. अमर कुमार नायक पुत्र श्री किर्तन नायक उम्र 42 साल जाति नायक निवासी डी-35 तिगडी ऐक्सटेन्शन, थाना संगम विहार, नई दिल्ली 62, 6. संदीप कुमार शर्मा पुत्र श्री नृसिंह राज शर्मा जाति ब्रह्मण उम्र 35 साल निवासी मकान न० 17 गणेश विहार विस्तार बैनाड रोड दादी का फाटक, थाना करधनी, जयपुर, 7. हरदीप शर्मा पुत्र श्री पूरण शर्मा जाति ब्रह्मण उम्र 41 साल निवासी बी 66 बिरला ग्राम थाना बिरला ग्राम जिला नागदा मध्य प्रदेश, 8. अतिक अहमद पुत्र श्री अस्पाक अहमद जाति मुसलमान उम्र 46 साल निवासी मकान न० 42 लब्ध मस्जिद वाली गली,

शिवाजी नगर, थाना कामर्शियल रूट्रीट, बेंगलोर कर्नाटक को पकडकर बाद पूछताछ उक्त प्रकरण मे गिरफ्तार किया गया।

इस गैंग द्वारा WWW.barclags.metel.com वैवसाईट के द्वारा ऐन्टीक सिक्को, धातुओ, स्टोन की खरीद— फरोख्त के लिये प्लेट फार्म उपलब्ध कराने के नाम पर लोगो को इसके व्यापार के लिए तैयार करते है। यह लोग अपने आप को ऐन्टीक वस्तुओ के अधिकृत खरीद फरोख्त करने का काम करना बताते है। इनके द्वारा करामाती शीशा, करामाती कलस इत्यादि व चमत्कारी चीजो को देने व दिलवाने का झांसा देते हैं, एक व्यक्ति को बेचने वाला बनाते है इसके पास करामाती वस्तु होने की बात कर एक व्यक्ति को खरीदारी के लिए तैयार करते है जो खरीद कराने के लिए तैयार होता है उसका काम सौदा कराना होता है। एक व्यक्ति वार क्लेश मैटल का प्रतिनीधि बताता है जो विश्वास दिलाने के लिए अपने आप को कम्पनी का पंजिकृत प्रतिनीधि बताता है। फिर करामाती वस्तु के नाम पर कुछ भी वस्तु देकर मोटी रकम ठग लेते है। इसके बाद सौदे मे काम मे लिये गये मोबाईल नम्बर वगैरहा बदल लेते है। इस प्रकार साधारण सी चीज को चमत्कारी व असाधारण बता कर लोगो को झांसे मे लेकर धोखाधडी करते है। मुल्जिमों से पूछताछ की जा रही है जिनसे और वारदातो के खुलासे की सम्भावना है।